21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र सं0 1307 20 18 आवेदन स0 17352 | 26/11/2018

चूँकि श्री कमलावती देवी वगैरह

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध कार्यालयों के अनुक्रमणियों में ता0 01/01/2006 से ता0 24/11/2018 तक तलासी की गयी है और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:–

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तिथि	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा कस्बे आरा थाना नं0 237 खेसरा नं0 4685 4686 रकबा 33.750							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहारों और अवभारों को छोड़कर उक्त सम्पति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) :– रंजीत कुमार

(पदनाम) :– लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर) :–

(पदनाम) :– अभिलेखपाल

कार्यालय : जिला निबंधन कार्यालय, आरा।

तारीख :– 28/11/018

जिला अवर निबंधन कार्यालय सत्यमेव जयते भोजपुर, आरा

28.11.18

मुहर निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

28/11/018

× टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं–किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्राजेन्वशन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

×2 :– निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहतें हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरुरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ ओर अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

✓ (क) :– किन्तु चूँकि वर्तमान मामलें में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

×(ख) :– और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदन ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके द्वारा ढूढें गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूढें गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला अवर निबंधक आरा, भोजपुर

झाप संख्या..... दिनांक 28/11/018

आवेदक श्री कमलावती देवी कंवर

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा एल आई सी हाउसिंग फाइनैन्स लि०, पटना

का उनके पत्र संख्या ७ दिनांक ७ के प्रसंग में अनुसारित की जाती है।

28.11.17

निबंधन पदाधिकारी

28/11/018